झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

e-mail id: jceceboard@gmail.com
Website: **http://jceceb.jharkhand. gov.in**
Phone no.: 9264473893

विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी० / 76 / 23– 37 ,राँची / दिनांक: 12/ 07 / 2023

सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयन के लिए Bridge Course Programme में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

(Important Information Regarding Convening of Competitive Examination-2023 for Admission in Bridge Course Programme for Selection on the post of Community Health Officer)

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के नियंत्रणाधीन झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची द्वारा पत्रांक–9 / RCH-40 / 2023–1725 (RCH) दिनांक – 21.06.2023 के माध्यम से पर्षद को संसूचित किया गया है कि Bridge Course Programme के जुलाई से दिसम्बर–2023 सत्र हेतु विनिर्दिष्ट Health & Wellness Centre पर रिक्त 810 बैकलॉग पदों (अनारक्षित कोटि–253, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग–81, अनुसूचित जनजाति कोटि–172, अनुसूचित जाति कोटि–184, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि–58 एवं पिछड़ा वर्ग कोटि–62) पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की अनुबंध आधारित सेवा प्राप्त किया जाना है। समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर अनबंध आधारित सेवाएँ प्राप्त करने हेतु सफल प्रतियोगियों के चयन के निमित्त झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, राँची द्वारा Online प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। केवल परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर नियुक्ति का दावा मान्य नहीं होगा। परीक्षा में सफल एवं चयनित अभ्यर्थियों को Community Health में छः माह का Bridge Course Programme करना है। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त Course के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त ही तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए सेवा लेने हेतु प्राधिकृत किये जायेंगे। उत्कृष्ट कार्य करने के आधार पर अनुबंध विस्तारण का प्रावधान होगा।

उपरोक्त के आलोक में उपयुक्त आवेदकों से जो भारत के नागरिक की श्रेणी में आते हैं और निम्न कंडिका–2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में अंकित क्रमशः शैक्षणिक, आयु–सीमा, जाति आधारित आरक्षण (यदि लागू हो तो) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण (यदि लागू हो तो), खेलकूद के लिये आरक्षण (यदि लागू हो तो) एवं दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण (यदि लागू हो तो) की योग्यता धारित करने वाले से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. **<u>पदीय शैक्षणिक अर्हत्ता एवं वांछित अर्हत्ता</u>** :–

<u>Essential Eligibility Criteria:</u>

i) General Nursing and Midwifery (GNM) RNRM from a recognized Institute/Bachelor of Science in Nursing from a recognized Institute/University.

OR

Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) from a recognized Institute/University.

ii) At least 2 years of relevant work experience in the Health sector.

iii) Candidate should have Permanent Registration from Indian Nursing or AYUSH Council/any State Nursing or AYUSH Council. Selected candidates should provide the Permanent Registration from Jharkhand State Nursing Council/Jharkhand State AYUSH Council/other concerned Council before joining as Community Health Officer.

Desirable Criteria:

i) Proficiency in Regional/Local language and Dialect.

ii) Work experience in the Public Health System, preferably at the Primary/Community Health Center level.

3. **आयु–सीमा** :– आयु–सीमा की गणना दिनांक–01.08.2022 को आधार मानकर किया जायेगा। आवेदको के आयु का निर्धारण उनके मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में अंकित जन्म–तिथि से अनुमान्य होगा। विभिन्न कोटियों के आवेदकों के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु–सीमा निम्नवत है:–

क्र0 सं0	कोटि	न्यूनतम आयु (वर्षों में)	अधिकतम आयु (वर्षों में)	दिव्यांग आवेदकों के लिए अधिकतम आयु (वर्षों में)
(क)	अनारक्षित / आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग	21	35	40
(ख)	पिछड़ा वर्ग-I / पिछड़ा वर्ग -II	21	37	42
(ग)	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग -I/ पिछड़ा वर्ग–II)	21	38	43
(घ)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	21	40	45

4. **जाति आधारित आरक्षण** – आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले अभ्यार्थियों को विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त} द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत {झारखण्ड राज्य के अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) या उपायुक्त को छोड़कर} जाति प्रमाण–पत्र पर आरक्षण का दावा विचारणीय नहीं होगा तथा उनका आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में मान्यता दी जायेगी।

अनुसूचित जनजाति कोटि के लिये निर्धारित सीटों में से न्यूनतम 2% सीटें आदिम जनजाति समूह के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है, बशर्त्ते कि वे आवश्यक न्यूनतम अर्हत्ता को पूरा करते हों तथा अनुसूचित जनजाति कोटि की मेधा–सूची में स्वतः नहीं आते हों। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति कोटि के आरक्षण में क्षैतिज रूप से उपलब्ध होगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉची के पत्रांक–14 / जा0नि0–03–13 / 2015 / का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–7 / नीति (आरक्षण)–06 / 2001 का0–5886 दिनांक–21.09.2011) के आलोक में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उनके आरक्षित सीटों का विनियमन नहीं किया जायेगा।

जाति प्रमाण–पत्र के विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

5. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण**– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, रॉची के ज्ञापांक–14 / आ0नि0–04–03 / 2019 का0–1433 दिनांक 15.02.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी / अपर जिला दण्डाधिकारी / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्ता / अनुमण्डल दण्डाधिकारी / कार्यपालक दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्ता / सहायक दण्डाधिकारी एवं अंचल अधिकारी में से किसी एक प्राधिकार द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आय एवं संपत्ति प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

6. **विनिर्दिष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षण** –खेल–कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों को कला,संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा निर्गत संकल्प की कंडिका – 9 के आलोक में राज्य सरकार के सभी नियुक्तियों में खिलाड़ियों के लिये 2 % आरक्षण निम्नवत दिया जायेगा :–

क्र0 सं0	प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i)	भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	द्वितीय/तृतीय स्थान
(ii)	झारखण्ड ओलंपिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैम्पियनशीप।	प्रथम स्थान
(iii)	राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी।	राष्ट्रीय रिकार्ड

7. **दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण** – निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा–34(i) के तहत राज्य की सभी स्थापनाओं में नियुक्ति के मामले में संवर्ग बल के अधीन रिक्त पदों की कुल संख्या का 4 प्रतिशत पद दिव्यांग–जनों के लिए निम्नांकित रूप में आरक्षित किया जायेगा :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आम्लीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या	1
(ड.)	बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का विहित प्रपत्र पर्षद के वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

8. **आवेदन पत्र की उपलब्धता** – आवेदक पर्षद के वेबसाईट के **Homepage Page** पर **"Online Application Form for Admission in Bridge Course Programme – 2023 "** बटन पर Click कर, दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए **दिनांक–17/07/2023 से दिनांक–10/08/2023 तक ऑनलाईन आवेदन पत्र भर सकते हैं।**

आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों को शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र तथा विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), खेल–कूद प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) तथा चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्गत एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) भारित (Upload) करना अनिवार्य/आदेशात्मक (Mandatory) है अन्यथा उनके आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे तथा रद्द समझे जायेंगे।

9. **फोटोग्राफ** – ऑनलाईन आवेदन पत्र में हाल का खिंचाया हुआ रंगीन फोटोग्राफ, जिसमें चेहरे के साथ–साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, का ही scanned image, upload करना है। फोटोग्राफ संपादित (Edited) नहीं होना चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

10. **परीक्षा तिथि** – उक्त परीक्षा राँची जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केन्द्र/केन्द्रों पर ऑफलाईन मोड में दिनांक–20.08.2023 (रविवार) को आयोजित की जायेगी। परीक्षा तिथि के 04 दिन पूर्व अर्थात दिनांक–16.08.2023 से प्रवेश पत्र, पर्षद के वेबसाईट से अधःभारित (Download) करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। अतः आवेदक पर्षद के वेबसाईट के सम्पर्क में लगातार बने रहें।

11. **परीक्षा का स्तर एवं प्रकार** –प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (Objective) एवं बहुविकल्प (Multiple Choice) प्रकृति के होंगे तथा परीक्षा का स्तर General Nursing and Midwifery/Bachelor of Science in Nursing/Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। General Nursing and Midwifery एवं Bachelor of Science in Nursing का पाठ्यक्रम समान होने के

कारण उक्त पाठ्यक्रमों के लिए समान प्रश्न पत्र एवं Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) के पाठ्यक्रम के लिए अलग प्रश्नपत्र होंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे जो द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी एवं हिन्दी में होंगे। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा तथा इसकी गणना गलत उत्तर के अन्तर्गत की जायेगी।

उक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम (Syllabus) पर्षद के वेबसाईट पर डाउनलोड कॉलम में उपलब्ध है।

12. **मेधा–सूची** – परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेधा–सूची के साथ–साथ कोटिवार मेधा–सूची तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम General Nursing and Midwifery/Bachelor of Science in Nursing/Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS) में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर तथा यह भी स्थिति सामान्य होने पर पहले जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को मेधा–सूची में वरीयता दी जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या – 417 दिनांक–10.08.2021 के आलोक में उक्त परीक्षा में चयन हेतु कोटि–वार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित किया गया है:–

अनारक्षित कोटि/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II कोटि	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I कोटि	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति कोटि/अनुसूचित जनजाति कोटि /सभी कोटि की महिला	32 प्रतिशत
आदिम जनजाति समूह	30 प्रतिशत

13. **अन्य आवश्यक सूचनाएँ**– इस संबंध में यदि किसी आवेदक को विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, नामकुम, राँची के कार्यालय/अधिकृत बेवसाइट **http://jrhms.jharkhand.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से,

(रंजीता हेम्ब्रम, झा॰प्र॰से॰)
उप परीक्षा नियंत्रक